डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु. भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 566] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर 2006—कार्तिक 26, शक 1928

पशु पालन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2006

क्र. एफ. 23-41-2006-35.—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 तथा 54 के साथ पठित धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 के उपनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएं, अर्थात् :—

(7) राज्य परिषद् के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, कार्यपालिक समिति को, परिषद् की संपत्ति के संबंध में ऐसे समस्त कार्य करने की तथा ऐसे समस्त विलेख निष्पादित करने की पूर्ण शक्ति तथा उसमें से धन व्यय करने का पूर्ण प्राधिकार होगा, जो परिषद् के प्रयोजन के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हों तथा विशिष्टितया इस उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यपालिक समिति को यह शक्ति होगी कि वह—

(क) राज्य परिषद् की जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्तियों की देखभाल, प्रबंध करें तथा उसके प्रबंधन का पर्यवेक्षण करें तथा उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित धन व्यय करें;

(ख) समस्त दरों, भाटकों, करों, वेतनों तथा अन्य शोध्यों का भुगतान करें;

(ग) दान, विक्रय, विनिमय तथा पट्टे द्वारा अथवा अन्यथा सौंपे जाने पर राज्य परिषद् की किन्हीं भूमियों, भवनों तथा अन्य जंगम तथा स्थावर संपत्तियों को आर्जित करें तथा उनका विक्रय करें, उन्हें बंधक रखें, उनका अपलेखन करें अथवा उनका अन्यथा व्ययन करें;

(घ) राज्य परिषद् के किन्हीं भवनों अथवा संरचनाओं को बनाए, उनका संन्निर्माण करें, संधारण करें, उन्हें तोड़ें, उनका परिवर्धन करें, उन्हें सुधारें तथा उनकी मरम्मत करें;

(ङ) अपने कार्यकरण के लिये, अपने प्रकाशनों का विक्रय मूल्य नियत करके तथा भाटकों, सेवा प्रभारों तथा सेमीनारों तथा ऐसी ही अन्य गतिविधियों में प्रवेश शुल्क के संग्रहण द्वारा तथा राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से, अशासकीय व्यक्तियों तथा निकायों से, दान, अनुदान तथा उपहार स्वीकार करके, निधि में वृद्धि करें; तथा

(च) राज्य परिषद् के सभापति, समिति, रजिस्ट्रार, किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी को अपनी कोई शक्तियां प्रत्यायोजित करें :

परन्तु कार्यपालिक समिति, राज्य परिषद् की जंगम अथवा स्थावर संपत्ति के संबंध में की गई किसी कार्यवाही के बारे में पूर्ण जानकारी राज्य परिषद् के आगामी सम्मिलन के समक्ष रखेगी :

परन्तु यह और कि, खण्ड (ग) तथा (घ) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी स्थावर संपत्ति का, जिसका मूल्य दो हजार रुपये से अधिक हो, विक्रय, पट्टा या उसका अन्यथा अंतरण राज्य परिषद् की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा.

(8) राज्य परिषद् के बैंकर, किसी अनुसूचित बैंक की वह स्थानीय शाखा होगी, जिसे राज्य परिषद् इस निमित्त विहित करे. राज्य परिषद् की समस्त निधियां, उस बैंक में, राज्य परिषद् के खाते में संदत्त की जाएंगी तथा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, चैक द्वारा आहरित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) वेतन का भुगतान, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, मजदूरी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा पांच हजार रुपये तक की आकस्मिकता का भुगतान करने के लिए, रजिस्ट्रार तथा राज्य परिषद् के वरिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा संयुक्त रूप से,

(ख) उपरोक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट मदों को तथा पांच हजार रुपये से अधिक की आकस्मिकताओं के सिवाय किये जाने वाले भुगतानों के लिए, सभापति तथा रजिस्ट्रार द्वारा संयुक्त रूप से अथवा सभापति का पद रिक्त होने की दशा में, वित्त समिति के प्रमुख तथा रजिस्ट्रार द्वारा संयुक्त रूप से;

समस्त चैक बुक रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रहेंगी.

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए, किसी 'अनुसूचित बैंक' से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक.

(9) राज्य परिषद् की चालू आवश्यकताओं से अधिशेष निधि का, रजिस्ट्रार की सिफारिश पर तथा वित्त समिति की मंजूरी से ऐसी निवेश योजनाओं, बचन-पत्रों, स्टाक, तथा राज्य अथवा केन्द्र सरकार की अन्य प्रतिभूतियों, जिन पर राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा ब्याज की गारण्टी हो, में निवेश किया जा सकेगा.

(10) राज्य परिषद् की किसी भी निधि के निवेश राज्य परिषद् के नाम से ही किया जाएगा. रसीदों की सुरक्षित अभिरक्षा रजिस्ट्रार के व्यक्तिगत प्रभार में रहेगी जिसका सत्यापन प्रत्येक छः माह में एक बार राज्य परिषद् द्वारा संधारित प्रतिभूतियों के रजिस्टर से किया जाएगा और रजिस्टर में सत्यापन का प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित किया जाएगा तथा सभापति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा.

(11) वित्त समिति आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा व्यय का विस्तृत विवरण तैयार करेगी और उसे कार्यपालिक समिति के अनुमोदन के लिए उसके आगामी अधिवेशन में, जो इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक वर्ष के नवम्बर माह की प्रथम तारीख से पूर्व आयोजित होगा, प्रस्तुत करेगी. अनुमोदित प्राक्कलन की एक प्रति राज्य परिषद् को तथा दूसरी प्रति, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशु पालन विभाग को प्रतिवर्ष पहली नवम्बर तक प्रस्तुत की जाएगी.

(12) राज्य परिषद् की निधि किसी ऐसी मद पर, जो यथास्थिति, राज्य परिषद् या सभापति, अथवा रजिस्ट्रार, द्वारा सम्यक रूप से मंजूर नहीं की गई हो, व्यय के लिये विनियोजित नहीं की जाएगी.

(13) वेतन, चिकित्सीय प्रतिपूर्ति, मजदूरी, मानदेय, शुल्क,भाड़ा, दरें, कर, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज, कार्यालय व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय विनियोजनों की प्राथमिक इकाई होंगे.

(14) सभापति को, कुल मंजूर किये गये प्राक्कलन के भीतर विनियोजन की एक इकाई से दूसरी इकाई में पुनः विनियोजन की पूर्ण शक्ति होगी. ऐसे पुनः नियोजन को मंजूर करने के आदेश की प्रतियां, कार्यपालिक समिति को संसूचित की जाएंगी.

(15) रजिस्ट्रार को नीचे यथावर्णित व्ययों को मंजूर करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(क) उपधारा (8) के अनुसार वेतन, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मजदूरी, वाहन भत्ता, भाटक, दर, कर, विद्युत् व्यय एवं जल प्रभार, डाक तथा टेलीफोन व्यय को मंजूर करने तथा चैक जारी करने की पूर्ण शक्ति होगी.

(ख) राज्य परिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अग्रिमों को मंजूर करने तथा चैक जारी करने की पूर्ण शक्ति होगी.

(ग) सभापति, रजिस्ट्रार के अग्रिमों तथा चिकित्सीय प्रतिपूर्ति के लिए मंजूरी प्राधिकारी होगा.

(16) रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अधीन राज्य परिषद् के अधिकारियों को पांच हजार रुपये का स्थायी अग्रिम उपलब्ध रहेगा.

(17) रजिस्ट्रार राज्य परिषद् के सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों और स्वयं सभापति तथा रजिस्ट्रार के यात्रा, ठहरने तथा अन्य भत्तों के लिए प्रमाणकर्ता अधिकारी होगा.

(18) राज्य परिषद् द्वारा निम्नलिखित रजिस्टर संधारित किये जायेंगे :—

(क) रोकड़ बही;
(ख) व्यय रजिस्टर;
(ग) आय रजिस्टर;
(घ) प्रतिभूति रजिस्टर;
(ङ) स्थायी स्टाक तथा उपभोज्यों का पृथक्-पृथक् स्टॉक रजिस्टर;
(च) चैक बुक का रजिस्टर;
(छ) छुट्टी, भविष्य निधि, पेंशन आदि का रजिस्टर,
(ज) स्थाई अग्रिमों का रजिस्टर;
(झ) लेजर तथा जनरल;
(ञ) किसी अन्य लेखे का रजिस्टर.

(19) विनियोजन की प्रारंभिक इकाइयों के अनुसार व्यय रजिस्टर में मासिक लेखे संकलित किए जाएंगे. समुचित गौण इकाइयां रजिस्ट्रार के विवेकानुसार खोली जा सकेंगी जो समस्त लेखाओं को सम्यक् रूप में तैयार करने तथा संधारित करने के लिये उत्तरदायी होगा.

(20) (क) राज्य परिषद् के लेखों का लेखा परीक्षण वार्षिक रूप से राज्य परिषद् द्वारा नियुक्त चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा किया जाएगा. लेखा परीक्षण के संबंध में उपगत होने वाला कोई व्यय राज्य परिषद् द्वारा देय होगा.

(ख) ऐसी लेखाओं के संपरीक्षण के संबंध में चार्टेड एकाउण्टेंट को वही अधिकार तथा विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो महालेखाकार को राज्य सरकार के लेखाओं की संपरीक्षा में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखा, संबद्ध वाउचर तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों और कागज-पत्र पेश किये जाने की मांग करने का अधिकार होगा.

(ग) चार्टेड एकाउण्टेंट राज्य परिषद् को लेखा-संपरीक्षण के परिणाम की जानकारी देगा और उस पर कार्यपालिक समिति द्वारा सम्यक् रूप से, विचार कर लिये जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार, लेखा, संपरीक्षित लेखे के ब्यौरे तथा लेखा संपरीक्षण रिपोर्ट, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशु पालन विभाग को भेजेगा. उसी समय लेखा-संपरीक्षण रिपोर्ट परिषद् के समस्त सदस्यों की जानकारी के लिए, उनके बीच, परिचालित की जाएगी :

परन्तु यदि संपरीक्षित लेखाओं के अप्राप्यता के कारण राज्य परिषद् को सरकारी अनुदान मंजूर होना रुक जाता है तो सभापति चार्टेडएकाउण्टेंट से सम्परीक्षित लेखा प्राप्त होते ही उन्हें सीधे राज्य सरकार को भेजेगा.

Bhopal, the 17th November 2006

No. F. 23-41-2006-35.—In exercise of the powers conferred by Section 65 read with Sections 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 and 54 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh State Veterinary Council Rules, 1993, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (6) of Rule 6, the following sub-rule shall be added, namely :—

(7) Subject to the control of the State Council, the Executive Committee shall have full power and authority to do all such acts and to execute all such deeds in respect of the property of the

State Council which may be necessary or expedient for the purpose of the State Council and expend money there-from, and in particular and without prejudice to the generality of this provision, the executive committee shall have power :—

(a) to look after, manage and supervise the manaement of the property, both movable and immovable, of the State Council and to expend money required for that purpse;

(b) to pay all rates, rents, taxes, salaries or other dues;

(c) to acquire by gift, purchase, exchange, lease, or otherwise handover and to sell, mortgage, write-of or otherwise dispose-of any lands, buildings and other movable and immovable properties of the State Council;

(d) to build, construct, maintain, pull down, alter, extend, improve and repair any building or structure of State Council;

(e) to raise fund for its functioning by fixing and collection of sale price of its publications, rents, service charges participation fee for seminars, and other such activities and by accepting gifts, grants and donations from non-government persons and bodies with the previous sanction sanction of the State Government; and

(f) to delegate any of its powers to the President, Committee, Registrar, any authority or Officer, of the State Council :

Provided that the Executive Committee shall place before the next meeting of the State Council full information about any action taken inrespect of the movable or immovable property of the State Council :

Provided further that nosale, lease or any other transfer of immovable value shall be made without the previous sanction of the State Council :

(8) The Bankers of the State Council shall be the local branch of any Schedule Bank, as may be prescribed by the State Council in this behalf. All funds of the State Council shall be paid in the State Council's account with that bank and shall be withdrawn by meand of chequed for the following pruposes,—

(a) Payments of salary, Travelling Allowance, Daily Allowance, wages, medical reimbursements and contingencies up to rupees five thousnd, jointly by the Registrar and Senior Technical Assistant of the State Council

(b) Payments except the items specified in clause (a) above and contingencies beyond rupees five thousand, jointly by the president and the registar or when the post of President is vacant, jointly by the Head of Finance Committee and the Registrar,

the chequebooks shall remain in the costody of the Registrar.

Explanation.—For the purpose of this rule a "Scheduled Bank" means a bank included in the second Scheduled of the Reserve Bank of India Act, 1934.

(9) The funds of the State Council surplus to current requirements may on recommendations by the Registrar and with the sanction of the Finance Committee be invested in such deposit schemes, promissory notes, stocks or other securities of any State or Central Government or other instruments, interest on which have been guaranteed by such State or Central Government.

(10) Any investment of the funds of the State Council shall be made in the name of the State Council. The safe custody of the receipts shall remain in the personal charge of the Registrar and shall be verified once in six months with the register of securities maintained by the State Council and a certificate of verification shall be recorded by the Registrar on the register and countersigned by the President.

(11) The Finance Committee shall prepare detailed estimate of receipts and expenditure for the next financial year and shall submit the same for approval by the Executive Committee at its next meeting to be held for the purpose before the first of November every year. One copy of the approved estimate shall be submitted to the State Council and another to the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Animal Husbandary, by the first of November every year.

(12) The funds of the State Council shall not be appropriated for expenditure on any item, which has not been duly sanctioned by the State Council or by the President or Registrar, as the case may be.

(13) The Primary Units of appropriations shall be salaries, medical reimbursement, wages, honorarium, fees, rent, rates and taxes, travelling allowance, daily allowance, conveyance, interest on General Provident Fund, office expenses and other administrative expenses.

(14) The President shall have full power to re-appropriate funds from one unit of appropriation to another within the total sanctioned estimate. Copies of the orders sanctioning such re-appropriation shall be communicated to the Executive Committee.

(15) The Registrar shall have power to sanction expenditures as described below :—

(a) Full powers to sanction and issue cheques, in accordance with sub-rule (8), for expenditure of salaries, travelling allowance, daily allowance, medical reimbursement, wages, conveyance, rents, rates, taxes, electricity and water charges, stationery, postage and telephone expenditure;

(b) Full power to sanction all types of advances to Officers and employees of the State Council;

(c) The President shall be sanctioning authority for advances and medical reimbursement of the Registrar.

(16) A permanent advance of five thousand rupees shall be made available to the Office of the State Council under the control of the Registrar.

(17) The Registrar shall be certifying officer for travelling, halting and other allownaces to members and other Officers and employees of the State Council and the President, for himself and those of the Registrar.

(18) The following registers shall be maintained by the State Council :

(a) The Cash Book;
(b) The Expenditure Register;
(c) The Register of Income;
(d) The Register of Securities;
(e) The Stock Books—seperately for Permanent Stock and Consumables;
(f) The Register of Chequebooks;
(g) The Registers of Leave, Provident Fund, Pension, etc.;
(h) The Register of Permanent Advances;
(i) Ledger and Journal;
(j) Any other account register.

(19) The monthly accounts shall be compiled in the Expenditure Register according to the Primary units of appropriation. Suitable secondary units may be opened at the descretion of the Registrar, who shall be responsible for due preparation and maintenance of all accounts.

(20) (a) The Accounts of the State Council shall be audited anually by a Chartered Acountant appointed by the State Council. Any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the State Council

(b) The Chartered Accountant shall have the rights and privileges and authority in connection with such audit as the Auditor General has in connection with the audit of Government accounts and in particular shall have right to demand the production of books, accounts connected vouchers and such other necessary documents and papers.

(c) The Chartered Accountant shall inform the State Council the results of audit of accounts and after due consideration by the Executive Committee, the Registrar shall send the details of the audited accounts and the audit report to the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Animal Husbandary. At the same, time the audit report shall be circulated among the members of the State Council, for their information :

Provided that if due to non-receipt of audited accounts the Government grant to the State Council is stopped, the President shall send the audited accounts, on receiving it from the Chartered Accountant, directly to the State Government.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. शुक्ल, उपसचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.